RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ५, अंक १०] सोमवार, जून १७, २०१९/ज्येष्ठ २७, शके १९४१ [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

कृषि, पशु पालन, दुग्ध विकास और मत्स्य उद्योग विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित १३ जून २०१९।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XIV OF 2019.

AN ORDINANCE

further to amend the Maharashtra Agricultural Universities (Krishi Vidyapeeths) Act, 1983 and Maharashtra Animal and Fishery Sciences University Act, 1998.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १४ सन् २०१९।

अध्यादेश

महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ और महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

सन् १९८३ का महा. ४१।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

सन् १९९८ का महा. १७।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ और महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, से निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते है कि, अर्थात् :-

अध्याय एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भंण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) और महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१९ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

अध्याय दो
महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ में संशोधन।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा ९ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ (जिसे इसमें आगे " कृषि विद्यापीठ अधिनियम " कहा गया है) की धारा ९ के प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक, जोड़ा जायेगा और १७ नवम्बर २००० से प्रभावी रुप से जोडा गया है ऐसा समझा जायेगा, अर्थात् :- सन् १९८३ का महा. ४१ ।

" परंतु आगे यह कि महाराष्ट्र पशु और मत्सोद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ की धारा ९ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली मत्सोद्योग विज्ञान में उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों या अन्य अकादमिक विशिष्टियाँ प्रदान करने के लिए भी सक्षम होगा ।"।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा १२ में संशोधन।

३. कृषि विद्यापीठ अधिनियम की धारा १२, की उप-धारा (३), खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्न खंड, निविष्ट किया जायेगा और १७ नवम्बर २००० से प्रभावी रुप से निविष्ट किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :-

"(छ-१) डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ के क्रियाकलापों में प्रभावी समन्वयन प्राप्त करने और यथोचित मार्गदर्शन तथा निदेशन देने की दृष्टि से, मत्सोद्योग विज्ञान में शिक्षा से संबंधित अनुसंधान और मत्सोद्योग विज्ञान में विस्तार शिक्षण कार्यक्रम से संबंधित उस विद्यापीठ द्वारा किए गए कार्य का समय समय पर पुनर्विलोकन करना ;"।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा ४५ में संशोधन।

४. कृषि विद्यापीठ अधिनियम की धारा ४५, की उप-धारा (१) में निम्न परन्तुक, निविष्ट किया जायेगा और १७ नवम्बर २००० से प्रभावी रुप से निविष्ट तिया गया समझा जायेगा, अर्थात् :-

परंतु, इस अधिनियम में या महाराष्ट्र पशु और मत्सोद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा ३ की, उप-धारा १ के अधीन गठित डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली मत्सोद्योग विज्ञान में एक या अधिक महाविद्यालयों की स्थापना करने लिए सक्षम होगा ।"। सन् १९९८ का महा. १७।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा ८ में संशोधन।

५. कृषि विद्यापीठ अधिनियम की धारा ५० के पश्चात, निम्न अध्याय, निविष्ट किया जायेगा और १७ नवम्बर २००० से प्रभावी निवेशन किया गया है ऐसा समझा जायेगा, अर्थात् :-

"अध्याय आठ क

कतिपय महाविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों/संस्थाओं, प्रशिक्षण केंद्रों और पशु प्रजनन फार्म, आदि के संबंध में विशेष उपबंध।

सन् १९९८ का महा. १७ ।

५०क. महाराष्ट्र पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ की धारा ६२ के, खण्ड (ख) में और उसकी प्रथम अनुसूची में या किसी अधिसूचना, दस्तावेज या विलेख के प्रतिकूल में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, १७ नवम्बर २००० पर या से नीचे विनिर्दिष्ट महाविद्यालय, मान्यताप्राप्त संस्थाएँ, अनुसंधान केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र और फार्म डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण **कृषि** विद्यापीठ के, घटक महाविद्यालय, मान्यताप्राप्त संस्थाएँ, अनुसंधान केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र और फार्म होंगे, अर्थात् :- कतिपय महाविद्यालयो अनुसंधान केंद्रों आदि के संबंध में विशेष उपबंध।

(क) महाविद्यालय

(१) मत्स्योद्योग विज्ञान महाविद्यालय शिरगाँव।

(ख) अनुसंधान केंद्र/संस्थाएँ

(१) तारापोरवाला और समुद्री जैववैज्ञानिक अनुसंधान स्थानक, मुंबई।

(२) समुद्री जैववैज्ञानिक अनुसंधान स्थानक, रत्नागिरी।

(३) खारभूमि अनुसंधान केंद्र, पनवेल।

(४) चारा अनुसंधान केंद्र, पालघर।

(ग) प्रशिक्षण केंद्र

(१) पशुधन पर्यवेक्षण प्रशिक्षण केंद्र, लांजा।

(घ) पशु प्रजनन फार्म

(१) पशु प्रजनन फार्म कुडाल, जिला-सिंधुदूर्ग।"।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ में संशोधन।

सन् १९९८ का महा. १७ ।

६. महाराष्ट्र पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ (जिसे इसमें आगे " पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम " कहा गया है) की धारा ९ में, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा और १७ नवम्बर २००० से जोडा गया समझा जायेगा अर्थात् :- सन् १९९८ का महा. १७ की धारा ९ में संशोधन।

" परंतु, इस अधिनियम की इस धारा में या किसी अन्य उपबंधों की कोई बात, डॉ. बालासाहेब सावंत **कोंकण कृषि विद्यापीठ,** दापोली को लागू नहीं होगी; और वह विश्वविद्यालय मत्स्योद्योग विज्ञान में कोई उपाधि, डिप्लोमा प्रमाणपत्र या कोई अन्य अकादमिक पुरस्कार प्रदान करने के लिए सक्षम होगा।"।

७. (१) महाराष्ट्र पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम की द्वितीय अनुसूची अपमार्जित की जायेगी। सन् १९९८ का महा. १७ की द्वितीय अनुसूची का अप-मार्जन और व्यावृत्ति।

सन् १९८३ का महा. ४१ ।

(२) द्वितीय अनुसूची का अपमार्जन, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ की उक्त अनुसूची द्वारा किए गए संशोधन को प्रभावित नहीं करेगा।

अध्याय चार

विविध

विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति।

८. महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय **(कृषि विद्यापीठ)** अधिनियम, १९८३ और महाराष्ट्र पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ में या किसी विधि, नियम, दस्तावेज या विलेख के प्रतिकूल में, या किसी न्यायालय के किसी न्यायनिर्णय, या आदेश या निदेशन में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,— सन १९८३ का महा. ४१। सन १९९८ का महा. १७।

(क) मत्स्योद्योग महाविद्यालय, शिरगांव यह डॉ. बालासाहेब सावंत **कोंकण कृषि विद्यापीठ,** दापोली का घटक महाविद्यालय है ऐसा समझा जायेगा ;

(ख) कृषि, पशुपालन, दुग्धउद्योग विकास और मत्स्योद्योग विभाग द्वारा सरकारी अधिसूचना क्रमांक पीएएसएएमपीआरए-३५००/सीआर-१३५/एडीएफ-१, दिनांकित १७ नवम्बर २००० द्वारा अपमार्जित मत्स्योद्योग महाविद्यालय, शिरगाँव ; तारापोरवाला और समुद्री जैविक अनुसंधान स्थानक, मुंबई ; समुद्री जैविक अनुसंधान स्थानक, रत्नागिरी ; चारा अनुसंधान केंद्र, पालघर ; खारभूमि अनुसंधान केंद्र, पनवेल ; पशुधन पर्यवेक्षण प्रशिक्षण केंद्र, लांजा और पशु प्रजनन फार्म, कुडाल, जिल्हा सिंधुदुर्ग (जिसे इसमें आगे "उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाएँ और प्रशिक्षण केंद्र" कहा गया है), डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापिठ के घटक महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाएँ या, यथास्थिति, प्रशिक्षण केंद्र है ऐसा समझा जाएगा ;

(ग) कोई छात्र जो इस अध्यादेश के प्रवर्तमान होने के दिनांक के तत्काल पूर्व उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाएँ और प्रशिक्षण केंद्र में, उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अकादमिक पुरस्कार आदि, के लिए अध्ययन कर रहे थे वह डा. बालासाहेब सावंत कोंकण **कृषि विद्यापीठ** के अधीन उनका अध्ययन निरंतर जारी रहेगा ;

(घ) इस अध्यादेश के प्रवर्तमान होने के पूर्व किसी विषय या पाठ्यक्रम, या कार्यक्रम के लिए, उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र के छात्र के रुप में रजिस्ट्रीकृत सभी छात्र डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ से रजिस्ट्रीकृत किये गये समझे जायेंगे ;

(ड) उक्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा कोई परीक्षा आयोजित की गई है, परन्तु उपाधि या अन्य अकादमिक पुरस्कार प्रदान नहीं हैं या जारी नहीं किये गये हैं या किसी ऐसी परीक्षा का परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया है, तो ऐसी परीक्षा डॉ. बालासाहेब सावंत **कोंकण कृषि विद्यापीठ** द्वारा आयोजित की गई है ऐसा समझा जायेगा और वह **कृषि विद्यापीठ** कोई उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अकादमिक पुरस्कार आदि प्रदान करने या जारी करने और ऐसी परीक्षा का परिणाम घोषित करने के लिए सक्षम होगा ;

(च) इस अध्यादेश के प्रारम्भण के पूर्व डा. बालासाहेब सावंत **कोंकण कृषि विद्यापीठ** या उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किन्ही छात्रों को, मत्स्योद्योग विज्ञान मे, कोई उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अकादमिक पुरस्कार आदि प्रदत्त या प्रदान किये गये हैं तो वह डॉ. बालासाहेब सावंत **कोंकण कृषि विद्यापीठ** के अधीन प्रदत्त या प्रदान किये गये समझे जायेंगे ;

(छ) इस अध्यादेश के प्रारम्भण के पूर्व, उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा स्वीकृत या प्राप्त सभा उपकृतियाँ, पुरस्कारों, प्रमाणपत्रों को डॉ. बालासाहेब सावंत **कोंकण कृषि विद्यापीठ** द्वारा स्वीकृत या प्राप्त की गई है ऐसा समझा जायेगा ;

(ज) इस अध्यादेश के प्रवर्तमान के पूर्व, उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रो, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र की प्राप्त चल या अचल सभी सम्पत्ति या सभी अधिकारों (रजिस्ट्रीकृत या प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों समेत) चाहे किसी प्रकार का ब्याज, शक्तियाँ और विशेषाधिकार उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र से प्राप्त या रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं ऐसा समझा जायेगा ;

(झ) इस अध्यादेश के प्रारम्भण के पूर्व महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र के पक्ष में बनाए सभी वसीयत, विलेख या अन्य दस्तावेज (अनुसंधान रिपोर्ट समेत) जिसमें कोई वसीयत, बक्षिस, निबंधन और न्यास अंतर्विष्ट है, वह उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र से बनाया गया समझा जाएगा ;

(ञ) इस अध्यादेश के प्रवर्तमान होने के दिनांक के पूर्व, उक्त अध्यादेश महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और, प्रशिक्षण केंद्र द्वारा अर्जित, प्रोद्भूत और उपगत कोई अधिकारों, विशेषाधिकारों, बाध्यता या दायित्व डा. बालासाहेब सावंत **कोंकण कृषि विद्यापीठ** द्वारा अर्जित, प्रोद्भूत और उपगत अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व है ऐसा समझा जायेगा ;

(ट) 'मत्स्योद्योग विज्ञान' विषय से संबंधित डा. बालासाहेब सावंत **कोंकण कृषि विद्यापीठों** के प्राधिकरणों या निकायों द्वारा पारित सभी संकल्प इस अध्यादेश द्वारा, यथा संशोधित, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (**कृषि विद्यापीठ**) के उपबंधों के अनुसरण में **कृषि विद्यापीठ** द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है ऐसा समझा जायेगा ; सन १९८३ का महा. ४१।

(ठ) डा. बालासाहेब सावंत **कोंकण कृषि विद्यापीठ** द्वारा बनाए गए और उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्र, संस्थाएँ और प्रशिक्षण केंद्रों को लागू सभी नियम, विनियमन या परिनियम, इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (**कृषि विद्यापीठ**) के उपबंधों के अनुसरण में, उस कृषि विद्यापीठ द्वारा बनाए गए हैं ऐसा समझा जायेगा ; सन १९८३ का महा. ४१।

(ड) उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्र, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र के अधीन नियुक्त सभी अकादमिक, गैरअकादमिक कर्मचारीवृंद सदस्य डा. बालासाहेब सावंत **कोंकण कृषि विद्यापीठ** द्वारा नियुक्त किये गये हैं ऐसा समझा जायेगा और उस **कृषि विद्यापीठों** के अधीन कार्य में बना रहेगा ;

(ढ) इस अध्यादेश के प्रवर्तमान के पूर्व, उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा या के विरुद्ध में कोई विधिक वाद, अपील या चाहे किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया हो, किसी न्यायलय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष विलंबित है तो वह डा. बालासाहेब सावंत **कोंकण कृषि विद्यापीठों** द्वारा या के विरुद्ध में विलंबित है ऐसा समझा जायेगा।

९. (१) इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने में, यदि कोइ कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधों से अनसंगत ऐसी कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतित हो। कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

(२) उप-धारा (१) अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ (सन् १९८३ का महा. ४१) यह कृषि और सहबद्ध मामलों में शिक्षा के लिये, विशेषतः कृषि विज्ञान के विकास के लिये और सरकार के कृषि विकास कार्यक्रमों और विस्तार शिक्षा को मददगार और सहायक ऐसी योजनाओं या गतिविधियों का कार्यान्वयन करने या उपक्रमित करने के लिये और ऐसी अन्य गतिविधियाँ हाथ में लेने के लिये बेहत्तर सुविधाओं का उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया है। महाराष्ट्र पशु और मत्स्यविज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ (सन् १९९८ का महा. १७) यह पशु और मत्स्य विज्ञान के अध्ययन के लिये और उसमें अनुसंधान करने के लिये, और इन विज्ञानों के विस्तार और विकास और उसके समन्वयन के लिये सुविधाएँ देने के लिये अधिनियमित किया गया है।

२. कतिपय महाविद्यालयों, अनुसंधान केंन्द्रो, संस्था और प्रशिक्षण केन्द्रों का महाराष्ट्र पशु और मत्स्यविज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।

महाराष्ट्र पशु और मत्स्यविज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ के उपबंधों को प्रवृर्तमान में लाने के साथ-साथ, सरकार ने उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में किये गये संशोधन द्वारा महाराष्ट्र पशु और मत्स्यविज्ञान विश्वविद्यालय के क्षेत्र से कतिपय महाविद्यालय, अनुसंधान केन्द्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंन्द्रो को छोड़ा हुआ है, देखिए, **सरकारी अधिसूचना**, कृषि पशुपालन, दुग्धउद्योग विकास और मत्स्यपालन विभाग क्रमांक **पी ए एस ए एम पी आर ए. ३५००/ सी आर-१३५/ ए डी एफ-१**, दिनांकित १७ नवम्बर २०००। तथापि, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ और महाराष्ट्र पशु और मत्स्यविज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ मे पारिणामिक संशोधन अनवधानता में सम्मिलित करना रह गया है।

३. कोंकण को ७२० कि.मी. के समुद्री तट का लाभ हुआ है, उसमें समुद्री जल संपत्ति (१.१२ लाख वर्ग कि.मी.) और खार जलसंपत्ति (५२,००२ हेक्टर) सम्मिलित है। उन स्त्रोतों से राज्य के मत्स्य उत्पादन का लगभग ७८ प्रतिशत का अंशदान होता है। कोंकण प्रदेश में, कृषि व्यवसाय के साथ मत्स्य व्यवसाय भी किया जाता है। कृषि संकाय के समाज विज्ञान विभाग और मत्स्यविज्ञान संकाय ने संयुक्त रूप से मछुआरों के 'सामाजिक – आर्थिक पहलुओं' पर अनुसंधान कार्यान्वित किया है। कृषि इंजीनिअरींग संकाय और मत्स्यविज्ञान संकाय ने संयुक्त रूप से मछुआरों को लाभदायी विभिन्न उपकरणों, तांत्रिक अध्ययन विकसित किया है ; फसल पश्च प्रबंधन संकाय और मत्स्यविज्ञान संकाय ने संयुक्त रूप से मत्स्य प्रक्रिया के लिये मत्स्य प्रक्रिया पद्धति, उत्पादन और नियम विकसित किये हैं। उद्यान–कृषि संकाय और मत्स्यविज्ञान संकाय ने संयुक्त रूप से एकीकृत मत्स्य खेती प्रणाली विकसित की है। कोंकण प्रदेश में, समुद्र तटीय जनता को उनके जीवनयापन और सामाजिक आर्थिक विकास के लिये लाभप्रद ऐसी कृषि के साथ मत्स्यविज्ञान प्राकृतिक एकीकरण किया है।

४. सम्मानीय उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच की रिट याचिका क्रमांक ४२८१, सन २०१८ ने यह निर्णय दिया है कि, महाराष्ट्र पशु और मत्स्यविज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ की अधिनियमिति को ध्यान में रखकर डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यह पशु विज्ञान और मत्स्यविज्ञान में उपाधि या डिप्लोमा, आदि प्रदान करने के लिये सक्षम नहीं हैं।

डा. बालासाहेब सावंत कृषि विद्यापीठ द्वारा मत्स्य महाविद्यालय, शिरगाँव, जिला रत्नागिरी और अन्य अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों के छात्रों को मत्स्य विज्ञान में उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अकादमिक पुरस्कार आदि प्रदान किये हैं, उन छात्रों ने जो उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य अकादमिक पुरस्कार प्राप्त किये हैं, उक्त विश्वविद्यालय के छात्रों के हितों को बाधा न डालते हुए यह सुनिश्चित करना है कि, ऐसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अकादमिक पुरस्कार विधिमान्य करने के लिये, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ और महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अधिनियम, १९९८ में यथोचित संशोधन करना इष्टकर है।

५. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ और महाराष्ट्र पशुपालन और मत्स्यविज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुम्बई,
दिनांकित १२ जून २०१९।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल,

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

एकनाथ डवले,
शासन के सचिव।

(यथार्थ अनुवाद)

नं. मा. राऊत,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.